

प्रेस नोट थाना बेलघाट दिनांक 23-05-2021

अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों तथा अवैध कच्ची शराब निष्कर्षण बिक्री व परिवहन पर पूर्णरूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व पुलिस उपाधीक्षक गोला के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्याम मोहन के नेतृत्व में हमराह उ0नि0 श्री राकेश कुमार, उ0नि0 श्री रूपेश कुमार पाल, उ0नि0 श्री शैलेश सिंह यादव, का0 अजय कुमार भारती, का0 जसवन्त यादव व का0 सुशील यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण (01) विनय पुत्र श्रीराम (02) राहुल पुत्र अयोध्या (03) सीताराम पुत्र विश्वनाथ निवासीगण नरगड़ाजंगा सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को क्रमशः 40 लीटर, 20 लीटर व 15 लीटर कुल 75 लीटर अवैध अपमिश्रित जहरीली शराब, एक प्लास्टिक बोरी 5 किलो नौसादर व पोलीथीन में 2 किलो यूरिया खाद तथा कागज के गत्ते में 60 किलो गुड़ एवं 06 स्टील का ड्रम जिसके उपर त्रिभुजाकार शराब बनाने का यंत्र लगा है , 06 अदद एल्युमिनियम की बड़ी पतीली व 06 अदद पांच-पांच लीटर का प्लास्टिक का डब्बा के साथ आज दिनांक 23.05.2021 को समय 03.30 बजे सुबह कम्हरिया घाट जाने वाले रास्ते ग्राम नरगड़ाजंगा सिंह गुलाब की मड़ई से 500 मीटर पूरब सिवान से गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 74/2021 धारा 60/63 EX ACT व 272 IPC थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. विनय पुत्र श्रीराम निवासी नरगड़ाजंगा सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. राहुल पुत्र अयोध्या निवासी नरगड़ाजंगा सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
3. सीताराम पुत्र विश्वनाथ निवासी नरगड़ाजंगा सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

75 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब
05 किग्रा0 नौसादर
02 किग्रा0 यूरिया
60 किग्रा0 गुड़
शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 23.05.2021 समय 03.30 बजे ग्राम कम्हरिया घाट जाने वाले रास्ते ग्राम नरगड़ाजंगा सिंह गुलाब की मड़ई से 500 मीटर पूरब सिवान थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार

2. उ0नि0 श्री रूपेश कुमार पाल
3. उ0नि0 श्री शैलेश सिंह यादव
4. का0 अजय कुमार भारती
5. का0 जसवन्त यादव
6. का0 सुशील यादव